रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 41] नई दिल्ली, अक्तूबर 13— अक्तूबर 19, 2019, शनिवार/आश्विन 21—आश्विन 27, 1941
No. 41] NEW DELHI, OCTOBER 13— OCTOBER 19, 2019, SATURDAY/ASVINA 21— ASVINA 27, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली 16 अक्तूबर, 2019

सा.का.नि. 323.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संघ लोक सेवा आयोग (संवर्गबाह्य पद) भर्ती नियम, 1959 को अधिक्रांत करते हुए, जहां तक प्रबंधक (आंकड़ा तैयारी) के पद से संबंधित हैं; संघ लोक सेवा आयोग (इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ा प्रक्रमण केंद्र का पद) भर्ती नियम, 1986 और संघ लोक सेवा आयोग उप नियंत्रक (आंकड़े प्रक्रमण) भर्ती नियम, 1994 जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, इसके द्वारा संघ लोक सेवा आयोग में संयुक्त निदेशक (सूचना प्रणाली), वरिष्ठ प्रणाली विश्लेषक, प्रणाली विश्लेषक, आंकड़ा प्रक्रमण सहायक और आंकड़ा प्रक्रमण सहायक समूह 'क' के पदों पर भर्ती की विधि को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग, इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ा प्रक्रमण शाखा समूह 'क' और 'ख' पदों की भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **आरंभिक गठन.—**

(1) नियमित आधार पर इन नियमों के प्रारंभ होने से ठीक पहले आंकड़ा प्रक्रमण सहायक श्रेणी 'क' के पदधारक को इन नियमों के उपाबंधों के अनुसार नियुक्त किया गया माना जाएगा।

(2) इन नियमों के प्रारंभ के पूर्व लागू होने से ठीक पहले संबंधित श्रेणी में उपर्युक्त पदधारक द्वारा की गई नियमित सेवा की परिवीक्षा, वरिष्ठता, प्रोन्नति हेतु अर्हक सेवा, पुष्टिकरण आदि की अवधि के लिए गणना की जाएगी।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-

इन पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों में संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. **भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—**

उक्त भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं और उससे संबंधित बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.—**

वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित हो विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ;या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकारों को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो किसी व्यक्ति को इस प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.—**

जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृति.—

इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण,आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपाबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. संयुक्त निदेशक (सूचना प्रणाली)	4* (2019) *कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 78800-209200 रु.	चयन	लागू नहीं

सीधी भर्तियों के लिए किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती के लिए भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

भर्ती पद्धति सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्त/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणी जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलित किया जाना है
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसमें विफल रहने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)	**प्रोन्नति** : वरिष्ठ प्रणाली विश्लेषक वेतन मैट्रिक्स 67700-208700 रु. में स्तर 11 की श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और प्रशासनिक विभाग द्वारा यथा विहित अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण 1**: जहां जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, वे प्रोन्नति हेतु विचाराधीन हैं, वहां उनके वरिष्ठ अधिकारियों पर भी प्रोन्नति हेतु विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, जो भी कम हो, पूर्ण कर ली हो, और अपने से कनिष्ठ अधिकारियों, जिन्होंने इस तरह की अर्हक या पात्रता सेवा पहले से पूरी कर ली है, सहित अगले उच्च श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो । प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या अर्द्धसरकारी या कानूनी या स्वायत संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने काडर या विभाग में 67700-208700 रु. के वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 में या समतुल्य पदों पर, नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं एवं अनुभव रखते हों :- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग में मास्टर डिग्री या एम.एससी. कंप्यूटर विज्ञान या एम.एससी. सूचना प्रौद्योगिकी; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरी में स्नातक या कंप्यूटर इंजीनियरी या कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी या सूचना प्रौद्योगिकी में बी.टेक. (प्रौद्योगिकी में स्नातक) : और (ii) किसी सरकारी कार्यालय या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या कानूनी या स्वायत संगठन या किसी मान्यताप्राप्त संस्था में दृश्य आधार या पीएचपी या जावा या एएसपी.एनईटी के उपयोग का वास्तविक सॉफ्टवेयर विकास में आठ वर्ष का अनुभव हो और डाटाबेस जैसे एमवाईएसक्यूएल या एसक्यूएल या ओरेकल या पीओएसटीजीआरईएस डाटाबेस में अनुभव। **वांछनीय:-** सुरक्षित परिवेश के अंतर्गत सर्वरों पर डाटा स्ट्रक्चर फ्रेम करना; डाटा फ्लो; रिपोर्ट डिजाइनिंग; संपूर्ण सिस्टम डिजाइनिंग और

	ऑनलाइन प्रोजेक्ट कार्यान्वयन सहित प्रोजेक्ट डिजाइनिंग में एक वर्ष का अनुभव। **टिप्पण-1** : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है; प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण-2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) सामान्यतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण-3** : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (पदोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :- 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग - सदस्य 3. अपर सचिव (सूचना प्रणाली विंग के प्रभारी), संघ लोक सेवा आयोग – सदस्य	अधिकारी की प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्त करते समय, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. वरिष्ठ प्रणाली विश्लेषक	8*(2019) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 67700-208700 रु.	चयन	लागू नहीं

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसमें विफल रहने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)	**प्रोन्नति** प्रणाली विश्लेषक या आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक श्रेणी 'जी' के पद वेतन मैट्रिक्स 56100-177500 रु. के स्तर -10 के श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा तथा प्रशासनिक विभाग द्वारा यथाविहित अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण 1 :** जहां जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, उन्हें प्रोन्नति हेतु विचार किया जा रहा हो तो, वहां उनके वरिष्ठ अधिकारियों पर भी प्रोन्नति हेतु विचार किया जाएगा बशर्ते कि उन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, जो भी कम हो, पूरी कर ली हो और अपने से कनिष्ठ अधिकारियों, जिन्होंने इस तरह की अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, सहित अगली उच्च श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो। **टिप्पण 2** : संबंधित ग्रेड या पद में अधिकारियों द्वारा निर्धारित अर्हक सेवा पूरी करने की तारीख के संदर्भ में प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची तैयार की जाएगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)

	(क) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानें या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या कानूनी या स्वायत्त संगठन के अधीन अधिकारी – (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों या (ii) वेतन मैट्रिक्स रु. 56100-177500 में स्तर-10 के पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा या मूल संवर्ग या विभाग में समतुल्य पद और (ख) शैक्षिक अर्हता और अनुभव । (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग (एप्लीकेशन्स) में स्नातकोत्तर डिग्री या कंप्यूटर विज्ञान में एमएससी या सूचना प्रौद्योगिकी में एम एस सी; अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर इंजीनियरी या कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी या सूचना प्रौद्योगिकी में बैचलर ऑफ इंजीनियरी या बैचलर ऑफ प्रौद्योगिकी ; (ii) पीएचपी या जावा या एएसपी नेट में वास्तविक सॉफ्टवेयर विकास में पांच वर्ष का अनुभव और सरकारी कार्यालय या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या सांविधिक या स्वायत्त संगठन या किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान में एमवाईएसक्यूएल या एसक्यूएल या ओआरसीएलई या पोस्टग्रेस डेटा बेस जैसे डेटाबेस में अनुभव। **वांछनीय:** डेटा संरचनाओं को तैयार करने सहित परियोजना डिजाइनिंग में एक वर्ष का अनुभव; डाटा प्रवाह; रिपोर्ट डिजाइनिंग; सुरक्षित वातावरण के तहत सर्वर पर सम्पूर्ण सिस्टम डिजाइनिंग और ऑनलाइन परियोजना कार्यान्वयन। **टिप्पण 1** : पोषक प्रवर्ग में विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधे पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार हेतु पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्तियों की प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति करने पर विचार नहीं किया जाएगा। **टिप्पण 2**: उसी संगठन अथवा कोई अन्य संगठन अथवा केन्द्र सरकार के विभाग में इस नियुक्ति के तत्काल पहले धारित अन्य बाह्य-संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पावधि संविदा सहित) सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पावधि संविदा सहित) साधारणतया चार वर्षों से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3**: प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा, आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगा।

(12)	(13)
समूह क विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित शामिल हैं : 1. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग –अध्यक्ष 2. अतिरिक्त सचिव (सूचना प्रणाली विंग के प्रभारी), संघ लोक सेवा आयोग - सदस्य 3. संयुक्त सचिव (सूचना प्रणाली विंग के प्रभारी), संघ लोक सेवा आयोग - सदस्य	अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करते समय (अल्पकालिक संविदा सहित) संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.प्रणाली विश्लेषक	11*(2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, ग्रुप 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स 56100-177500 रु.में स्तर 10	चयन	35 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक छूट दी जा सकती है)

					टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी, न कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम,मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर का लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश का लाहौल एवं स्पिति जिला तथा चंबा जिले का पंगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्ष्यद्वीप के अभ्यार्थियों के लिए विहित की गई तिथि होगी

(7)	(8)	(9)	(10)
(i)किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिग्री या कंप्यूटर विज्ञान में एम.एससी या सूचना प्रौद्योगिकी में एम.एससी; हो या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग या कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी या सूचना प्रौद्योगिकी में बैचलर ऑफ इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री; (ii) पीएचपी या जावा या एएसपी, नेट में वास्तविक सॉफ्टवेयर विकास में तीन वर्ष का अनुभव और सरकारी कार्यालय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कानूनी या स्वायत संगठन या किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान में एमवाई एसक्यूएल या एसक्यूएल या ओरेकल या पोस्टग्रेस डेटाबेस जैसे डेटाबेस में अनुभव **टिप्पण 1:** अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, यदि लिखित रूप में लेखबद्ध किए जाने वाले कारण हैं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अर्हता शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हता उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ	आयु: नहीं शैक्षिक अर्हता: नहीं।	सीधी भर्ती और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जो न हो पाने पर प्रतियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा, दोनों न होने पर सीधी भर्ती द्वारा 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

लोक सेवा आयोग की यह राय है कि आरक्षित व्यक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यार्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति वेतन मैट्रिक्स 44900-142400 रुपए के स्तर 7 में आंकड़ा प्रक्रमण सहायक श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो और प्रशासनिक विभाग द्वारा यथाविहित अनिवार्य प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरी की हो। **टिप्पण 1** : जहां अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूरी करने वाले कनिष्ठों पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा। परंतु उनमें अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा, अपेक्षित योग्यता या पात्रता सेवा की आधे से अधिक या दो वर्षों, जो भी कम हो, की कमी न हो और जिन्होंने ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा को पूरा कर चुके अपने कनिष्ठों के साथ अगले उच्चतर श्रेणी तक प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी की हो। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त शोध संस्थान या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कानूनी या स्वायत्त संगठन के अधीन अधिकारी :- (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करते हो; या (ii) वेतन मैट्रिक्स 47600-177500 रु. में स्तर 08 के पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात दी गई श्रेणी में या मूल संवर्ग या विभाग में समतुल्य पदों पर दो वर्ष की सेवा की हो; या (iii) वेतन मैट्रिक्स 44900 -142400 रु. में स्तर 07 के पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद दी गई श्रेणी में या मूल संवर्ग या विभाग में समतुल्य पदों पर तीन वर्ष की सेवा की हो; और (ख) स्तंभ 7 में विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों। **टिप्पण 1** : पोषक प्रवर्ग की सीधी पंक्ति में है प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार	1. **समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी** :- (1) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष (2) सचिव, संघ लोक सेवा आयोग -सदस्य (3) अपर सचिव (सूचना प्रणाली विंग के प्रभारी), संघ लोक सेवा आयोग - सदस्य 2. **समूह 'क' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :** (1) सचिव, संघ लोक सेवा आयोग –अध्यक्ष (2) अपर सचिव (सूचना प्रणाली विंग के प्रभारी), संघ लोक सेवा आयोग – सदस्य (3) संयुक्त सचिव (सूचना प्रणाली विंग), संघ लोक सेवा आयोग - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक है

प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के लिए जाने के पात्र नहीं होंगे **टिप्पण 2** :उसी संगठन अथवा कोई अन्य संगठन अथवा केंद्रीय सरकार के विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित अन्य बाह्य-संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पावधि संविदा सहित) सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पावधि संविदा सहित) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3**: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा, आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख के अनुसार छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.आंकड़ा प्रक्रमण सहायक	16*(2019) *कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स 44900-142400 रु. में स्तर 07	चयन	लागू नहीं

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य

(10)	(11)
(i) 70 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके विफल होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित); (ii) 30 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित);	**प्रोन्नति:** वेतन मैट्रिक्स 35400-112400 रु. के स्तर -6 में आंकड़ा प्रक्रमण सहायक श्रेणी 'क' के ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हों और प्रशासनिक विभाग द्वारा यथाविहित अनिवार्य प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण 1** : जहां अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूरी करने वाले कनिष्ठों पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते उनमें अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा की आधे से अधिक या दो वर्षों, जो भी कम हो, की कमी न हो और जिन्होंने ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा को पूरा कर चुके अपने कनिष्ठों के साथ अगले उच्चतर श्रेणी तक प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी की हो। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त शोध संस्थान या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या कानूनी या अर्धसरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठन के अधीन अधिकारी – (क) (i)मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों या (ii) वेतन मैट्रिक्स 35400-112400 रु. में स्तर-06 के पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद दिए गए श्रेणी में या मूल संवर्ग या विभाग में समतुल्य पदों पर पांच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) निम्निलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग में मास्टर डिग्री या कंप्यूटर विज्ञान में एमएससी या सूचना प्रौद्योगिकी में एम एस सी; अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर इंजीनियरी या कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी या सूचना प्रौद्योगिकी में बैचलर ऑफ इंजीनियरी या बैचलर ऑफ प्रौद्योगिकी ; और (ii) पीएचपी या जावा या एएसपी नेट में वास्तविक सॉफ्टवेयर विकास में पांच वर्ष का अनुभव और

	सरकारी कार्यालय या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या कानूनी या स्वायत्त संगठन या किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान में एमवाईएसक्यूएल या एसक्यूएल या ओआरसीएलई या पोस्टग्रेज डेटा बेस जैसे डेटाबेस में दो वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1** : पोषक प्रवर्ग में विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधे पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति की प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** उसी संगठन अथवा कोई अन्य संगठन अथवा केन्द्रीय सरकार के विभाग में इस नियुक्ति के तत्काल पहले धारित अन्य बाह्य-संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पावधि संविदा सहित) सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पावधि संविदा सहित) साधारणतया तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा, आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं : 1.अपर सचिव, संघ लोक सेवा आयोग –अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (प्रशासन शाखा के प्रभारी), संघ लोक सेवा आयोग - सदस्य 3. निदेशक (सूचना प्रणाली विंग के प्रभारी), संघ लोक सेवा आयोग – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. आंकड़ा प्रक्रमण सहायक समूह 'क'	21* (2019) *कार्य भार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय अराजपत्रित सेवा, समूह 'ख' अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स 35400-112400 रु.में स्तर 06	लागू नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर का लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश का लाहौल – उपस्पिति जिला और चंबा जिले का पंगी उपप्रभाग अंदमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
अनिवार्य : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग या कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री। **वांछनीय:** किसी मान्यता प्राप्त	लागू नहीं	सीधी भर्ती वालों के लिए दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पण:** पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर दूर रहने अथवा लंबी बीमारी अथवा अध्ययन अवकाश अथवा अन्य परिस्थितियों के तहत एक वर्ष अथवा अधिक अवधि के लिए होने वाले	लागू नहीं

विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग या कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री। टिप्पण: सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन करणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।			रिक्तियों को केंद्रीय सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी।	

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्निलिखित शामिल हैं :- 1. अपर सचिव (प्रशासन शाखा के प्रभारी), संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (प्रशासन शाखा के प्रभारी), संघ लोक सेवा आयोग - सदस्य 3. निदेशक (सूचना प्रणाली विंग के प्रभारी), संघ लोक सेवा आयोग – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा.सं. 39021/02/2015-स्थापना(ख)]

राजबीर सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 16th October, 2019

G.S.R.323.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Union Public Service Commission (Ex-Cadre Posts) Recruitment Rules, 1959 in so far as they relate to the post of Manger (Data Preparation), the Union Public Service Commission (Posts for the Electronic Data Processing Centre) Recruitment Rules, 1986 and the Union Public Service Commission Deputy Controller (Data Processing)Recruitment Rules 1994 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Joint Director (Information System), Senior System Analyst, System Analyst, Data Processing Assistant and Data Processing Assistant Grade 'A' in the Union Public Service Commission, namely:-

1. Short title and commencement .— (1)These rules may be called the Union Public Service Commission, Electronic Data Processing Branch Groups 'A' and'B' posts Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Initial Constitution .— (1) The incumbentholding the post of Data Processing Assistant Grade 'A' immediately before the commencement of these rules on regular basis shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules.

(2) The regular continuous service of incumbent referred above in the respective grade immediately before the commencement of these rules shall count for the purpose of period of probation, seniority, qualifying service of promotion, confirmation etc.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix .—The number of posts, their classification, level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications etc .—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification .—No person -

*(a)*who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax .—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

7. **Saving .—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, *ex*-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Joint Director (Information System)	4* (2019) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Level 12 in the pay matrix Rs. 78800 - 209200	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made
(10)	(11)
By promotion failing which by deputation (including short-term contract).	**Promotion:** Senior System Analyst in level11 in pay matrix 67700 – 208700 with five years' regular service in the grade and having successfully completed the mandatory training as prescribed by the administrative Department. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short-term contract): Officers under the Central Government or State Governments or Universities or recognised research institute or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisation,– (a) *(i)* holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or *(ii)* with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-11 in pay matrix 67700 – 208700 or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience :

	(i) Master Degree in Computer Application or M.Sc. Computer Science or M. Sc. Information Technology from a recognised University or Institute; or Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology or Computer Science and Engineering or Information Technology from a recognised University or Institute; and *(ii)* eight years' experience in actual software development using visual basic or PHP or JAVA or ASP.NET and having experience in database such as MYSQL or SQL or ORACLE or POSTGRES data base in a Government Office or public sector undertaking or statutory or autonomous organisation or in any recognised institution. **Desirable:** One year experience in project designing including framing data structures; data flow; report designing; complete system designing and online project implementation on the servers under secured environment **Note 1:** The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission -Chairman 2. Secretary, Union Public Service Commission -Member 3. Additional Secretary (In charge of Information System Wing), Union Public Service Commission -Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contract).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Senior System Analyst.	8* (2019) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Level 11 in the pay matrix Rs. 67700 – 208700.	Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
By Promotion failing which by deputation (including short-term	**Promotion:** System Analyst and Data Entry Operator Grade 'G' in level-10 in the pay matrix

contract).	Rs. 56100 – 177500 with five years' regular service in the grade and having successfully completed mandatory training as prescribed by the administrative Department. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2**: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade or post. Deputation (including short-term contract): (a) Officers under the Central Government or State Governments or Universities or recognised research institute or public sector undertakings or statutory or autonomous organisation,– *(i)* holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or *(ii)* with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-10 in the pay matrix Rs. 56100 – 177500 or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing educational qualifications and experience. *(i)* Master's Degree in Computer Application or M. Sc. Computer Science or M. Sc. Information Technology from a recognised University or Institute; or Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology or Computer Science and Engineering or Information Technology from a recognised University or Institute; *(ii)* five years' experience in actual software development using PHP or JAVA or ASP.NET and having experience in data base such as MYSQL or SQL or ORACLE or POSTGRES data base in a Government office or public sector undertaking or statutory or autonomous organisation or in any recognised institution. Desirable: One year experience in project designing including framing data structures; data flow; report designing; complete system designing and online project implementation on the servers under secured environment **Note 1**:The Departmental Officer in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2**:The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. **Note 3**: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:– 1. Secretary, Union Public Service Commission -Chairman 2. Additional Secretary (In-charge of Information System Wing), Union Public Service Commission -Member 3. Joint Secretary (In-charge of Information System Wing), Union Public Service Commission -Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation (including short term contract).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. System Analyst	11* (2019) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Level 10 in the pay matrix Rs. 56100 – 177500	Selection	Not exceeding 35 years. (Relaxable for Government servants upto five years' in accordance with the instructions and orders issued by Central Government from time to time.) **Note:**The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Divison of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) Master's Degree in Computer Applications or M. Sc. Computer Science or M. Sc. Information Technology from a recognised University or Institute; or Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology or Computer Science and Engineering or Information Technology from a recognised University or Institute; and *(ii)* three years post qualification experience in actual software development using PHP or JAVA or ASP.Net and having experience in database such as MYSQL or SQL or ORACLE or POSTGRES data base in a Government Office or public sector undertaking or statutory or autonomous organisation or from any recognised institution. **Note 1**: The qualification is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be	Age : No Educational qualification : No	One year for direct recruits and promotees.	50 per cent. by promotion failing which by deputation (including short-term contract) failing both by direct recruitment; 50 percent by direct recruitment.

recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.			

(11)	(12)	(13)
Promotion: Data Processing Assistant in level 7 in pay matrix Rs. 44900 - 142400 with three years' regular service in the grade and having successfully completed the mandatory training as prescribed by the administrative Department. **Note 1**: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short-term contract):Officers under the Central Government or State Governments or Universities or recognised research institute or public sector undertakings or statutory or autonomous organisation,– (a) *(i)* holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or *(ii)* with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 8 in the pay matrix Rs.	**1. Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:–** (1) Chairman or Member, Union Public Service Commission -Chairman (2) Secretary, Union Public Service Commission -Member (3) Additional Secretary (In charge of Information System Wing), Union Public Service Commission -Member **2. Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:–** (1) Secretary, Union Public Service Commission -Chairman (2) Additional Secretary (In-charge of Information System Wing), Union Public Service Commission -Member (3) Joint Secretary (Information System Wing), Union Public Service Commission -Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

47600 – 151100 or equivalent in the parent cadre or Department; or *(iii)* with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 7in the pay matrix Rs. 44900 – 142400 or equivalent in the parent cadre or Department;and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed under column (7). **Note 1:** The Departmental Officer in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:**The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment by the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3**: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Data Processing Assistant	16* (2019) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group 'B' Gazetted Non-Ministerial.	Level 7 in the pay matrix Rs. 44900 – 142400.—	Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Nil

(10)	(11)
(i) 70 percent by promotion failing which by deputation (including short-term contract); *(ii)* 30 percent by deputation (including short-term contract).	**Promotion**: Data Processing Assistant Grade 'A' in level 6 in the pay matrix Rs. 35400 – 112400 with five years' regular service in the grade and having successfully completed mandatory training as prescribed by the administrative Department. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying

	or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short-term contract):** Officers under the Central Government or State Governments or Universities or recognised research institute or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisation,– (a) *(i)* holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or *(ii)* with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 6 in the pay matrix Rs. 35400 – 112400 or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience:– *(i)* Master's Degree in Computer Application or Computer Science or Information Technology from a recognised University or Institute; or Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology or Computer Science and Engineering or Information Technology from a recognised University or Institute; and *(ii)* two years' experience in actual software development using PHP or JAVA or ASP.Net and having experience in database such as MYSQL or SQL or ORACLE or POSTGRES data base in a Government Office or public sector undertaking or statutory or autonomous organisation or from any recognised institution. **Note 1**: The departmental officer in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:**The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3**: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract)shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of applications.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of : 1. Additional Secretary (In-charge of Information System Wing), Union Public Service Commission - Chairman 2. Joint Secretary (Incharge of Administration Branch), Union Public Service Commission - Member 3. Director (In-charge of Information System Wing), Union Public Service Commission - Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Data Processing Assistant Grade 'A'	21* (2019) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 6 in the pay matrix Rs. 35400 – 112400	Not applicable	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions and orders issued by Central Government from time to time.) **Note**: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Divison of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Essential : Bachelor degree in Computer Application or Computer Science or Information technology from a recognised University or Institute. **Desirable:** Master Degree in Computer Application or Computer Science or Information Technology from a recognised University or Institute. **Note 1:** The qualification is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable	Two years for direct recruits	By direct recruitment. **Note:** Vacancy caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government.	Not applicable

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Additional Secretary, (In-charge of Information System Wing),Union Public Service Commission - Chairman 2. Joint Secretary (In-charge of Administration Branch), Union Public Service Commission - Member 3. Director (In-charge of Information System Wing), Union Public Service Commission - Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 39021/ 02 /2015-Estt.(B)]

RAJBIR SINGH, Under Secy.